

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 840/11-सी- FP/UP/Approach/155172//2022 , लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 26, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत बीसलपुर-बेवर मार्ग (एन०एच०-730सी) पुराना एस०एच०-29ए के किमी० स्टोन नम्बर 571.00 चैनेज 570.349 बांयी पटरी पर ग्राम-मदनपुर खसरा संख्या-2629 तहसील-सदर जिला-फर्रुखाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/155172//2022

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/64/2023/एफ०सी०/81, दिनांक-02.05.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक-747/14-1 दिनांक 22.09.2023 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 840/11-सी FP/UP/Approach/155172//2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फर्रुखाबाद।
- 3- मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० 85/4 इस्पात भवन तृतीय तल संजय प्लेस, आगरा।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 840/11-सी FP/UP/Approach/155172//2022 , दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।



**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर**  
**पत्रांक 747/14-1 दिनांक कानपुर, सितम्बर, 22<sup>nd</sup> 2023**

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश लखनऊ,

**विषय:-** जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत बीसलपुर-बेवर मार्ग (एन0एच0-730सी) Old SH-29A के किमी0 नम्बर-571.00 चैनैज 570.349 बायीं पटरी पर ग्राम-मदनपुर खसरा संख्या-2629 तहसील-सदर, जिला-फर्रुखाबाद हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन/ट्रासप्लांट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** आपका पत्रांक-11सी-2711/FP/UP/Approach/155172/2022 दिनांक 31.07.2023


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रमाणीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद ने अपने पत्रांक 516/14-1 दिनांक 14.09.2023 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय अलीगंज लखनऊ की पत्र संख्या-08वी/यू0पी0/06/64/2023/एफ0.सी0/239 दिनांक 27.07.2023 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। उक्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में समस्त अभिलेखों सहित संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

S. N.	Condition	Compliance
1.	The Legal Status of the Forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2.	Compe Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation of 338 trees in (sakwai Forest block farrukhabad range, District-Farrukhabad Block at the cost of the user Agency. As far as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has be avoided. of as as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has to be avoided.	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण ए 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रु01.49.650/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSCUBIN0996335] A/C NO-1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-02 एवं 03 )
3.	The cost of compensatory afforestation at the Prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of Survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 yrs. The Scheme may include appropriate Provision for anticipated cost increase for works Scheduled for Subsequent Years.	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण ए 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रु01.49.650/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO-1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03)
4.	The State Government shall Charge the Net Present Value for the 0.1690612 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA NO. 566 in WPO No. 202/1995 and as per the guideline issued by the ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pr.11) dated 18/09/2003, as well as letter 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user in this regard.	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि 0.1690612 हे0 की एन0पी0वी0 रु0 1,01,624/- की धनराशि को Forest & Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03 )
5.	Additional amount of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish an undertaking to this Effect	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-5)
6.	User agency shall restrict the felling of tress to 03 tress/minimum number in the diverted forest land and the trees be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of Felling of tress Shall be deposit by the User agency with the State Forest Department.	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-6)

7.	Separator Island has to be maintained as Green Belt. in Consultation with DFO. Green Belt Plan on Separator island shall be approved by DFO. ensuring appropriate site specific Species. Green belt plan shall also include species to be Planted on the Periphery of retail outlets and Service road, if applicable.	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-7)
8.	Entire Periphery of the establishment Should be lined up with tree Plantation at a close Spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without Compromising with the land requirement of the establishment.	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-8)
9.	The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector.	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-9)
10.	No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-10)
11.	Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump.	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-11)
12.	User Agency shall use the land between entry and exist of Petrol Pump(156.00 m2) for plantation and conservation of trees. the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-12)
13.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-13)
14.	Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-14)
15.	The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-15)
16.	Period of diversion under this Approval shall be Co-terminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-16)
17.	The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencement of Works.	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-17)
18.	Any other condition that the Ministry of Environment Forests& Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forests & Wildlife.	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वननवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-18)
19.	All the funds received from the user agency under the Project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-Portal. (https://parivesh.nic.in)	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में सर्वस्त वनसंरक्षक के Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत कालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी छाहान एवं पेमेण्ट डिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03)
20.	The Compliance report shall be Uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में Compliance Reports आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर https://Parivesh-nic-in के e-Portal पर अपलोड कर दी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय  
  
 (कृष्ण कुमार सिंह)  
 मुख्य वन संरक्षक  
 कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद को उनके पत्रांक 516/14-1 दिनांक 14.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य क्षेत्रीय हिन्दुस्तान पेट्रोलियन कारपोरेशन लिमिटेड 85/4 इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय प्लेस आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

(कृष्ण कुमार सिंह)  
 मुख्य वन संरक्षक  
 कानपुर मण्डल, कानपुर

7.	Separator Island has to be maintained as Green Belt, in Consultation with DFO. Green Belt Plan on Separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific Species. Green belt plan shall also include species to be Planted on the Periphery of retail outlets and Service road, if applicable.	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-7)
8.	Entire Periphery of the establishment Should be lined up with tree Plantation at a close Spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without Compromising with the land requirement of the establishment.	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-8)
9.	The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector.	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-9)
10.	No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-10)
11.	Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump.	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-11)
12.	User Agency shall use the land between entry and exist of Petrol Pump(156.00 m2) for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-12)
13.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-13)
14.	Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-14)
15.	The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-15)
16.	Period of diversion under this Approval shall be Co-terminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-16)
17.	The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencement of Works.	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-17)
18.	Any other condition that the Ministry of Environment Forests & Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forests & Wildlife.	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-18)
19.	All the funds received from the user agency under the Project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-Portal. ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> )	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में समस्त धनराशि का Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत बालान का माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA (FSC UBIN0996335) A/C NO- 1508070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी बालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03)
20.	The Compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> )	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में Compliance Reports आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर <a href="https://Parivesh-nic-in">https://Parivesh-nic-in</a> के e-Portal पर अपलोड कर दी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)

मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक-747/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद को उनके पत्रांक 516/14-1 दिनांक 14.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य क्षेत्रीय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 85/4 इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय प्लेस आगरा को इस अशय के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या परिवेश पर्टल पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

(कृष्ण कुमार सिंह)

मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद

पत्रांक 5/6 / 14-1 दिनांक: फर्रुखाबाद, सितम्बर 14/ 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
कानपुर मण्डल  
कानपुर

विषय— जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत बीसलपुर-बेवर मार्ग (ए-10एच0-730सी) Old SH-29A के किमी 0 नम्बर-571.00 चैनैज 570.349 बांयी पटरी पर ग्राम-मदनपुर खसरा संख्या-2629 तहसील-सदर, जिला-फर्रुखाबाद हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि 0 आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लांट की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ— भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (गध्य), लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू.पी./06/64/2023/एफ0सी0/239 दिनांक 27.07.2023, मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-11सी-2711/FP/UP/Approach/155172/2022 दिनांक 31.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र संस्तुति सहित चार प्रतियों में आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

S.N.	Condition	Compliance
1.	The Legal Status of the Forest land Shall remain unchanged.	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वननयद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2.	Compe Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation of 338 trees in (sakwai Forest block farukhabad range, District-Farrukhabad Block at the cost of the user Agency. As far as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has to be avoided. of as as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has to be avoided.	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षासपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रु० 1,49,650/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSCUBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-02 एवं 03)
3.	The cost of compensatory afforestation at the Prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of Survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 yrs. The Scheme may include appropriate Provision for anticipated cost increase for works Scheduled for Subsequent Years.	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षासपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रु० 1,49,650/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03)
4.	The State Government shall Charge the net Present Value for the 0.1690612 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA NO. 566 in WPO No. 202/1995 and as per the guideline issued by the ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user in this regard.	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि 0.1690612 हे० की एनपीवी रु० 1,61,924/- की धनराशि को Forest & Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03)
5.	Additional amount of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish an undertaking to this Effect.	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में वननयद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-5)
6.	User agency shall restrict the felling of tress to 03 tress/minimum number in the diverted forest land and the trees be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of Felling of tress Shall be deposit by the User agency with the State Forest Department.	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वननयद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-6)
7.	Separator Island has to be maintained as Green Belt, in Consultation with DFO. Green Belt Plan on Separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific Species. Green belt plan shall also include species to be Planted on the Periphery of retail outlets and Service road, if applicable.	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वननयद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-7)